के लिए खतरनाक होने के कारण उनका जीवन बीमा करने और उनकी ओर से बीमे की किश्तों का भुगतान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो तो उसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) बीमे की कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है । तथापि, असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र पंजाब और तमिलनाडु राज्य सरकारों ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों को पहले ही सीवरों की सफाई करने वाले श्रमिकों पर लागू कर दिया है । इस अधिनियम के अधीन संबंधित व्यक्ति स्थाई विकलांगता के मामले में 24000/–रुपये और मृत्यु के मामले में 20000/–रुपये की न्यूनतम क्षतिपूर्ति का हकदार होगा बशर्ते कि यह विकलांगता या मृत्यु नियोजन में चोट लगने के कारण हो। अन्य राज्यों/संघ क्षेत्रों से भी सीवरों की सफाई करने वाले व्यक्तियों पर इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

सामूहिक बीमा योजना के अधीन सफाई मजदूरों को लाभ

2295. **श्री अच्छे लाल बाल्मीक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभागों में कार्यरत सफाई मजदूरों को सामूहिक बीमा योजना के अधीन 12000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सामूहिक बीमा योजना के अधीन इस राशि को बढ़ा कर 25000 रुपए करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर "हां" हो, तो इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सरकार के विभागों में नियमित आधार पर कार्य कर रहे समूह "घ" कर्मचारियों (सफाई कर्मचारियों सहित) को समूह बीमा योजना के अन्तर्गत 10,000/- रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Direct Recruits of the Indian Economic Service

2296. SHRI T. CHANDRASEKHAR REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Indian Economic Service direct recruits who joined in 1960 are not only stagnating in the scale of Rs. 1100—1600 but will also continue in the same scale for next 5-6 years;

(b) if so, what are the prospects of those direct recruits who are in the initial scale of Rs. 700—1300 and are likely to slide down by about 200 places as a result of the recent judgement given by the Supreme Court in February, 1986; and

(c) what steps Government have taken or propose to take to improve the career prospects of the direct recruits of the Indian Economic Service?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) No, Sir. The Direct recruitment to Gr. IV of Indian Economic Service started only in 1968, based on IES Examination, 1967.

(b) In its judgement dated 11.2.86, relating to the Indian Economic Service. The Hon'ble Supreme Court has directed the Union of India to prepare a new seniority list in Gr. IV of Indian Economic Service. The promotee officers to Gr. IV shall be assigned seniority with effect from the

dates of their continuous officiation and direct recruits shall be given seniority with effect from the dates from which their names were recommended by Union Public Service Commission. Further promotions in the service will depend on the positions of direct recruits and promotees in the seniority list.

(c) The direct recruits and promoted officers of the Indian Economic Service are treated equally and there is no special consideration for the direct recruits. It is proposed to take up the Cadre Review soon after the implementation of the Hon'ble Court's order.

Remunerative Prices for Sugarcane

2297. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that uniform prices were not paid to sugarcane growers in different States and they were the lowest in the case of Uttar Pradesh; and

(b) if so, what steps are being taken to pay uniform remunerative prices to the sugarcane growers throughout the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA): (a) and (b) The statutory minimum price of sugarcane fixed by the Central Government is linked to recovery and is uniform throughout the country. Thus the price of Rs. 16.50 per quintal linked to 8.5 per cent recovery fixed for 1985-86 season is payable uniformally in all the States including mills in Uttar Pradesh. However, certain State Governments advise the sugar factories to pay higher prices, taking into consideration, among other things, local factors. The price being received by the growers of U.P. is not the lowest in the country and is comparable to the prices being received by growers in the other northern States.

हिन्दी में पर्यटन संबंधी साहित्य

2298. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन संबंधी साहित्य को हिन्दी में तैयार करने तथा प्रकाशित करने के लिए हाल में क्या व्यवस्था की गई है; और

(ख) उन लेखकों के नाम क्या हैं जिनके लेख वापस लौटा दिए गए थे और उसके क्या कारण थे ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारत में पर्यटक अभिरूचि के स्थानों को समाहित करते हुए ब्रोशरों और पैम्फलेट्स आदि को हिन्दी में रचना और प्रकाशन करना एक सतत प्रक्रिया है, और पर्यटन विभाग तथा कई राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या मे ऐसी सामग्री प्रकाशित की जाती है । इसके अलावा 1985 में पर्यटन विभाग ने चारों धामों यथा बदरीनाथ, राममेश्वरम, पुरी और द्वारिका पर चार फोल्डर्स के एक सैट का प्रकाशन किया है । देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों को समाहितकरते हुए हिन्दी में एक ब्रोशर का प्रकाशन भी फिलहाल भारत पर्यटन विकास निगम के पास प्रकाशनाधीन है ।

(ख) भूतपूर्व पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा हिन्दी में प्रकाशित की जाने वाली प्रस्तावित पत्रिका के संबंध में प्राप्त कुछ लेख वापिस लौटा दिए गए हैं क्योंकि संपूर्ण परियोजना पर पर्यटन विभाग तथा नागर विमानन विभाग के अलग-अलग हो जाने से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । इन लेखकों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।